प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) संख्या 574/2013

सुरक्षित किया गया :19.02.2025

पारित किया गया:01.05 .2025

1. श्रीनिवास राव नायडू पिता श्री के. पिता आर. नायडू, 44 वर्ष है, वर्तमान में अनुभाग अधिकारी, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बोदरी, थाना चकरभाटा उच्च न्यायालय जिला–बिलासपुर (सी. जी.) के रूप में पदस्थ

2. तिजाऊ राम हिरवानी, पिता स्वर्गीय आर. डी. हिरवानी, आयु लगभग 43 वर्ष, निवासी एम. आई. जी.–1/227, न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी देवरीखुर्द, बिलासपुर पोस्ट तथा पी. पिता तोरवा, तहसील तथा जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

3. जितेंद्र शंकर पाध्ये, पिता स्वर्गीय श्री शंकर गणेश पाध्ये, 44 वर्ष है, वर्तमान में अनुभाग अधिकारी (कार्यपालक), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बोदरी, थाना चकरभाटा, डाकघर उच्च न्यायालय , जिला–बिलासपुर (छ.ग.) के रूप में पदस्थ

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, रजिस्ट्रार जनरल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के द्वारा,उच्च न्यायालय बोदरी पी. एस. चकरभाटा, डाकघर उच्च न्यायालय जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

2. अशोक देवांगन, अनुभाग अधिकारी, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर, जिला–बिलासपुर (छ.ग)

3. रामायण देवांगन, अनुभाग अधिकारी, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर जिला–बिलासपुर (छ.ग)

4. अरुण कुमार पोतदार, अनुभाग अधिकारी, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर जिला–बिलासपुर (छ.ग)

-----उत्तरवादीगण

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

याचिकाकर्तागण हेतु : श्री सजल कुमार गुप्ता, अधिवक्ता,श्री सौरभ शर्मा, अधिवक्ता।

उत्तरवादी संख्या 1/हेतु : श्री आर. एस. मारहास,अधिवक्ता श्री समर्थ सिंह मरहास, अधिवक्ता।

माननीय श्री नरेंद्र कुमार व्यास, न्यायाधीश

सीएवी आदेश

1. याचिकाकर्ताओं ने यह रिट याचिका दिनांक 04.02.2013 (अनुलग्नक पी/1) के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की है, जिसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को 28.12.2004 से सहायक ग्रेड–I के पद पर पदोन्नत किया गया था और उसी आदेश द्वारा उन्हें 29.09.2005 से काल्पनिक रूप से अनुभाग अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया था।याचिकाकर्ताओं ने उत्तरवादी संख्या 1 द्वारा जारी दिनांक 10.10.2012 के पत्र (अनुलग्नक पी/2) पर आपत्ति जताई है जिसके द्वारा याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को अस्वीकार कर दिया गया था और साथ ही दिनांक 28.04.2004 के आदेश (अनुलग्नक पी/3) पर भी आपत्ति जताई है जिसके द्वारा उत्तरवादी संख्या 2 से 4 की सेवाओं को 06.11.2003 से सहायक ग्रेड–II के पद पर उच्च न्यायालय की स्थापना में समाहित कर लिया गया था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

2. अभिलेख से परिलक्षित संक्षिप्त तथ्य यह हैं किः

(ए) याचिकाकर्ताओं को वर्ष 1987/1995 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में सहायक ग्रेड–III के पद पर नियुक्त किया गया था और मध्य प्रदेश राज्य के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के रूप में पुनर्गठन के अनुसरण में, याचिकाकर्ताओं को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में आवंटित किया गया था। 24.05.2001 को याचिकाकर्ताओं को सहायक ग्रेड–II के पद पर पदोन्नत किया गया, तत्पश्चात 24/28.12.2004 को सहायक ग्रेड-I के पद पर पदोन्नत किया गया और 11/15.02.2005 को अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया।

(बी) याचिकाकर्ताओं का यह भी मामला है कि उत्तरवादी क्रमांक 2 से 4 को सीधे उच्च न्यायालय स्थापना में नियुक्त नहीं किया गया था, बल्कि उन्हें शुरू में जिला एवं सत्र न्यायालय स्थापना में सहायक ग्रेड–II के पद पर नियुक्त किया गया था और बिलासपुर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के गठन के बाद, उन्हें सहायक ग्रेड–II के पद पर उच्च न्यायालय स्थापना में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया था। उत्तरवादी क्रमांक 2 से 4 ने सहायक ग्रेड–II के पद पर उच्च न्यायालय स्थापना में उनके समावेशन के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और तदनुसार, उन्हें 28.04.2004 को सहायक ग्रेड–II के पद पर शामिल किया गया।

(सी) उत्तरवादी क्रमांक 2 से 4 के आमेलन के बाद, उच्च न्यायालय ने 01.05.2004 को सहायक ग्रेड–III/II की अनंतिम पदक्रम सूची प्रकाशित की, जिसमें कर्मचारियों से आपत्तियां आमंत्रित की गईं।कुछ कर्मचारियों ने पाया कि सहायक ग्रेड– III की अनंतिम सूची में उनके नाम उच्च न्यायालय की स्थापना में नियुक्त कर्मचारियों से नीचे दिखाए गए थे, उन्होंने तुरंत अपनी आपत्तियाँ प्रस्तुत कीं और उच्च न्यायालय की स्थापना में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनकी वरिष्ठता निर्धारित करने और सहायक ग्रेड– III/II के संवर्ग में अंतिम पदक्रम सूची में उचित स्थान देने की प्रार्थना की। हालाँकि, उत्तरवादी उच्च न्यायालय ने उन कर्मचारियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों को नज़रअंदाज़ करते हुए और उनके स्थान निर्धारण के संबंध में कोई सुधार किए बिना, 27.12.2004 को अंतिम पदक्रम सूची प्रकाशित कर दी, जिसे उनके द्वारा इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 3926/2005 (देव शरण दिल्लीवार एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं अन्य) दायर करके चुनौती दी गई।निर्णय कि सुसंगत कंडिका नीचे उद्धृत किया गया हैः–––

20. उपर्युक्त चर्चाओं के आधार पर, हम 1961 के नियम 12(2) के खंड (ग) के शब्दों ".....इस शर्त के अधीन कि उन्हें वरिष्ठता उस दिनांक से दी जाएगी, जिस दिनांक से वे प्रतिनियुक्ति पर पद धारण कर रहे हैं या जिस दिनांक से वे अपने वर्तमान विभाग में उसी या समकक्ष ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त हुए हैं, जो भी बाद में हो" को बेतुका और विधि की दृष्टि में अनुचित होने के कारण रद्द किए जाने योग्य मानते हैं और तदनुसार, उन्हें निरस्त कर दिया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. उत्तरवादी संख्या 1 को मौजूदा नियमों के अनुसार याचिकाकर्ताओं की वरिष्ठता की गणना करते हुए सहायक ग्रेड–III की नई ग्रेडेशन सूची तैयार करनी है, अर्थात नियम 12 (2) के खंड (सी) के भाग को छोड़कर, जिसे इस आदेश द्वारा रद्द कर दिया गया है।

22. याचिका को ऊपर बताए गए हद तक अनुमति दी गई है।इस पर कोई वाद व्यय देय का आदेश नहीं किया जाता है।"

(घ) यह भी तर्क दिया गया है कि इस न्यायालय की माननीय खंडपीठ द्वारा पारित आदेश के तहत, राज्य ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 (संक्षेप में "नियम, 1961") के नियम 12 (2) (सी) में संशोधन किया है, जो निम्नानुसार हैः–––

नियम, 1961 की धारा 12(2)(सी) के अनुसार, ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसे शुरू में प्रतिनियुक्ति पर लिया जाता है और बाद में आमेलित किया जाता है (अर्थात् जहां सुसंगत भर्ती नियम "प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण पर स्थानांतरण" का प्रावधान करते हैं) उस ग्रेड में उसकी वरिष्ठता जिसमें वह आमेलित होता है, सामान्यतः आमेलन के दिनांक से गिना जाता है। तथापि, यदि वह पहले से ही (आमेलन की तिथि को) अपने "मूल विभाग" (पहले यह वर्तमान विभाग था) में नियमित आधार पर समान या समतुल्य ग्रेड धारण कर रहा है, तो ग्रेड में ऐसी नियमित सेवा को उसकी वरिष्ठता निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जाएगा, इस शर्त के अधीन कि उसे वरिष्ठता उस तिथि से दी जाएगी, जिस तिथि से वह प्रतिनियुक्ति पर पद धारण कर रहा है या उस

तिथि से, जिससे वह अपने मूल विभाग में समान या समतुल्य ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त हुआ है "जो भी पहले हो" (पहले यह था, जो भी बाद में हो)।"

(ई) माननीय डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश के तहत उच्च न्यायालय ने वर्ष 2004–2005 के लिए एजी–III और एजी–II की ग्रेडेशन सूची को संशोधित किया है, जो 18.10.2012 को प्रकाशित हुई थी और याचिकाकर्ताओं को निजी उत्तरवादी से नीचे रखा गया है।

इस श्रेणीकरण सूची में उन्हें निजी उत्तरवादी से नीचे रखे जाने से व्यथित होकर, याचिकाकर्ताओं ने 18.07.2012 को उच्च न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से यह तर्क देते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया कि उत्तरवादी जिला न्यायालय स्थापना में काम कर रहे थे और 2001 से वे उच्च न्यायालय में प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे हैं, इस प्रकार वे अपनी प्रारंभिक नियुक्ति से वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकते है।याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को दिनांक 10.10.2012 के आदेश (अनुलग्नक पी/2) के तहत खारिज कर दिया गया है। इसके बाद, उच्च न्यायालय ने दिनांक 04.02.2013 के आदेश (अनुलग्नक पी/1) के तहत उत्तरवादी संख्या 2 से 4 को सहायक ग्रेड–I और अनुभाग अधिकारी के पद पर काल्पनिक रूप से पदोन्नत किया है।याचिकाकर्ताओं ने इस याचिका में दिनांक 04.02.2013 के आदेश (अनुलग्नक पी/2), दिनांक 10.10.2012 के आदेश और दिनांक 18.10.2012 को प्रकाशित ग्रेडेशन सूची 01.04.2004 (अनुलग्नक पी/2) की वैधता और औचित्य को चुनौती दी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. उच्च न्यायालय/उत्तरवादी संख्या 1 ने मुख्य रूप से यह तर्क देते हुए अपना जवाब दाखिल किया है कि:–––

(ए) याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 2013 में 28.12.2004, 29.09.2005 और 28.04.2004 के आदेशों को चुनौती देते हुए वर्तमान याचिका दायर की है, इस प्रकार रिट याचिका विलंब के आधार पर खारिज किए जाने योग्य है।

(बी) यह तर्क दिया गया है कि उत्तरवादी संख्या 2 को 06.01.1995 से नियमित आधार पर सहायक ग्रेड–II (उच्च श्रेणी लिपिक) के पद पर नियुक्त किया गया था और 23.02.1999 को उक्त पद पर स्थायी किया गया था।उन्हें 03.04.2001 पर उच्च न्यायालय की स्थापना में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया गया था।इसी प्रकार, उत्तरवादी क्रमांक 3 को सहायक ग्रेड II (उच्च श्रेणी लिपिक) के पद पर 26.6.2000 को नियुक्त किया गया था और 04.12.2002 को इस पद पर स्थायी किया गया था, जबकि उसे 05.02.2001 को उच्च न्यायालय की स्थापना में प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित किया गया था। उत्तरवादी क्रमांक 4 को जिला स्थापना में सहायक ग्रेड II के रूप में 01.07.2000 को नियुक्त किया गया था, जिसे 04.12.2002 को जिला न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा स्थायी किया गया था और 03.04.2001 को उच्च न्यायालय की स्थापना में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था।प्रत्यक्ष स्पष्ट रूप से ,उत्तरवादी संख्या 2 से 4 याचिकाकर्ताओं की उक्त पद

पर पदोन्नति से पहले ही सहायक ग्रेड–II के पदों पर थे। याचिकाकर्ताओं को 24.5.2001 को एजी–II के पद पर पदोन्नत किया गया है, इसलिए वे प्रतिवादी संख्या 2 से 4 से ऊपर नियुक्ति के हकदार नहीं हैं।

(सी) यह भी तर्क दिया गया है कि उत्तरवादी संख्या 2 से 4 ने एजी–II के पदों के खिलाफ रजिस्ट्री में अवशोषण के लिए अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया था और तत्कालीन मौजूदा नियम 12 (2) (सी) के अनुसार उनके अवशोषण के लिए सहमति व्यक्त की थी। उनकी सहमति के तहत, तत्कालीन मौजूदा नियमों के अनुसार, उन्हें उच्च न्यायालय की स्थापना में शामिल कर लिया गया था और उन्हें सबसे निचली वरिष्ठता दी गई थी, लेकिन नियम 1961 के नियम 12 (2) (सी) को इस न्यायालय के माननीय खंडपीठ द्वारा रोक दिया गया था और तदनुसार, सहायक ग्रेड– III / II के रूप में काम कर रहे सभी कर्मचारियों की ग्रेडेशन सूची को फिर से निर्धारित किया गया था और चूंकि याचिकाकर्ताओं को उत्तरवादी संख्या 2 से 4 के काफी बाद में सहायक ग्रेड– II के पद पर पदोन्नत किया गया था, ऐसे में याचिकाकर्ताओं को ग्रेडेशन सूची को संशोधित करके और पूर्वव्यापी रूप से काल्पनिक वरिष्ठता प्रदान करके उत्तरवादी संख्या 2 से 4 से नीचे रखा गया है और रिट याचिका को खारिज करने की प्रार्थना करते है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा अभिलेख पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अत्यंत संतुष्टिपूर्वक अवलोकन किया है।

5. पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदन से, इस न्यायालय द्वारा निर्धारण हेतु यह बिन्दु उभर कर आया है:---

"क्या उत्तरवादी संख्या 1/उच्च न्यायालय द्वारा उत्तरवादी संख्या 2 से 4 की वरिष्ठता को सहायक ग्रेड–II के पद पर उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से निर्धारित करना न्यायोचित था, जबकि उन्हें दिनांक 07.02.2017 को संशोधित नियम 1961 के नियम 12(2)(सी) के अनुसार उच्च न्यायालय में समाहित किया गया था"

6. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते है कि दिनांक 28.04.2004 के आदेश के माध्यम से उत्तरवादी संख्या 2 से 4 का सहायक ग्रेड-II के संवर्ग में समाहित किया जाना पूरी तरह से गलत और अनुचित है क्योंकि सहायक ग्रेड–II का पद 100% पदोन्नति वाला पद है जिसे सहायक ग्रेड–III से पदोन्नति के माध्यम से भरा जाना है, इसलिए, इसे सीधी भर्ती के माध्यम से या प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के माध्यम से नहीं भरा जा सकता है।उन्होंने आगे कहा कि उक्त पद पर कोई आमेलन नहीं हो सकता क्योंकि उक्त कार्यवाही का तरीका उत्तरवादी सं 1 के पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए उत्तरवादी सं 2 से 4 का आमेलन विधि की दृष्टि में त्रुटिपूर्ण है।उन्होंने आगे कहा कि उत्तरवादी सं. 2 से 4 को उनके मूल विभाग अर्थात जिला न्यायालय स्थापना में सहायक ग्रेड–II के मूल पद पर दिसंबर 2002 में ही पुष्टि की गई थी, जबकि याचिकाकर्ताओं को 24.05.2001 को सहायक ग्रेड–II के पद पर मूल रूप से पदोन्नत किया गया था, इसलिए, याचिकाकर्ताओं ने सहायक ग्रेड–II की उन्नयन सूची में उच्च स्थान प्राप्त किया होगा और वे उक्त संवर्ग में उत्तरवादी सं. 2 से 4 से

वरिष्ठ बने रहेंगे और पदोन्नत संवर्ग में भी सदैव वरिष्ठ रहेंगे, इसलिए उत्तरवादी सं. 2 से 4 को याचिकाकर्ताओं के ऊपर नहीं रखा जा सकता है।

7. उन्होंने आगे कहा कि उत्तरवादी संख्या 2 से 4 को उनके मूल विभाग में उनकी वरिष्ठता क्षमा करने के बाद उनके स्वयं के अनुरोध पर उच्च न्यायालय की स्थापना की सेवाओं में शामिल किया गया था, इसलिए उन्हें अपने स्वयं के वचन के विपरीत और सहायक ग्रेड–II की वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे रखे जाने की उनकी स्वयं की इच्छा के विपरीत लाभ का दावा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उन्होंने आगे कहा कि उत्तरवादी संख्या 1 ने उत्तरवादी संख्या 2 से 4 को पदोन्नति देने की मांग की है, यहां तक कि इस बात पर विचार करने के लिए पुनर्विलोकन डीपीसी भी नहीं बुलाई गई है कि उत्तरवादी संख्या 2 से 4 पदोन्नति के लिए उपयुक्त हैं या नहीं।उत्तरवादी संख्या 2 से 4 को सहायक ग्रेड–I के पद पर तथा उसके बाद अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति पर विचार करने के लिए पुनर्विलोकन डीपीसी होनी चाहिए, जबकि उक्त पदोन्नत पदों पर कोई स्वचालित पदोन्नति नहीं हो सकती है, जब पदोन्नति का मानदंड योग्यता–सह–वरिष्ठता है, इसलिए प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की उपयुक्तता पर डीपीसी आयोजित करके विचार करना होगा तथा उसके बाद ही उन्हें पदोन्नत किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. वह आगे यह भी प्रस्तुत करते है कि याचिकाकर्ता डब्ल्यू.पी. संख्या 3926/2005 में इस न्यायालय के समक्ष पक्ष नहीं थे और याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था, इसलिए उत्तरवादी संख्या 2 से 4 को याचिकाकर्ताओं के ऊपर रखकर ग्रेडेशन सूची जारी करके पदोन्नति के लिए विचार के संबंध में उनके अधिकार, शीर्षक और हित को नहीं छीना जा सकता है। वह आगे यह भी प्रस्तुत करते है कि डब्ल्यू.पी. संख्या 3926/2005 में इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 19.10.2011 का आदेश केवल सहायक ग्रेड– III के संबंध में था और इसे याचिकाकर्ताओं और सहायक ग्रेड– □ और अनुभाग अधिकारियों के कैडर के विरुद्ध लागू नहीं किया जा सकता है।उन्होंने आगे कहा कि उत्तरवादी संख्या 2 से 4 सहायक ग्रेड-I और अनुभाग अधिकारी के कैडर में भी नहीं थे, इसलिए उन्हें याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना याचिकाकर्ताओं से ऊपर नहीं रखा जा सकता क्योंकि यह स्थापित कानूनी सिद्धांत है कि जब भी कोई ग्रेडेशन सूची तैयार की जाती है, तो वह प्रकृति में अनंतिम होती है और अधिकारी उस पर आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए बाध्य होते हैं और आपत्तियों पर विचार करने के बाद ही उक्त ग्रेडेशन सूची को अंतिम रूप दिया जाता है।वर्तमान मामले में, न तो अनंतिम सूची तैयार की गई थी और न ही आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं, इसलिए, ग्रेडेशन सूची पूरी तरह से गलत और बिल्कुल मनमानी है।उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन को दिनांक 10.10.2012 के आदेश के तहत बिना किसी तथ्य का उल्लेख किए, कि उसे क्यों खारिज किया जा रहा है, एक गैर–बोलने वाले आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था क्योंकि उत्तरवादी सं 1 को उक्त अभ्यावेदन को खारिज करने के लिए कारण बताने की आवश्यकता थी, इसलिए, अभ्यावेदन को खारिज करने में मस्तिष्क का इस्तेमाल नहीं किया गया है क्योंकि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किए बिना इसे पूर्व निर्धारित तरीके से जारी किया गया था और याचिका की

अनुमति देने के लिए प्रार्थना की जाएगी।अपने निवेदन को पुष्ट करने के लिए, वह **आर प्रभा देवी एवं अन्य बनाम भारत सरकार, सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार एवं अन्य** के माध्यम से [(1988) 2 एससीसी 233] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का उल्लेख करते है ।

9. वह आगे प्रस्तुत करते है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की सेवाओं में आने से पहले उत्तरवादी क्रमांक 2 से 4 को पिछली सेवा का कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है क्योंकि उत्तरवादी क्रमांक 2 से 4 की सेवाएं विभिन्न अधिनियमों अर्थात जिला न्यायालय, स्थापना, आशुलिपिक, स्टेनो–टाइपिस्ट और एजी– III नियम, 2005 की भर्ती द्वारा शासित थीं। नियोक्ता में परिवर्तन होता है क्योंकि अधीनस्थ न्यायपालिका में सेवाओं का निर्वहन करते समय श्रेणी– III और श्रेणी– IV के कर्मचारियों का नियोक्ता राज्य सरकार होती है, जबकि उच्च न्यायालय की स्थापना में श्रेणी– III और श्रेणी– IV की सेवा का नियोक्ता उच्च न्यायालय होता है और नियोक्ता के बदलने पर पिछली सेवा का लाभ नहीं दिया जा सकता है।उन्होंने आगे कहा कि उत्तरवादी संख्या 2 से 4 के दिनांक 28.04.2024 के अवशोषण आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वरिष्ठता उनके हिंदी या अंग्रेजी टाइपिंग की परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से प्रदान की जाएगी और यह आदेश अंतिम हो गया है और सभी प्रतिवादियों पर बाध्यकारी है और वे रिट याचिका को अनुमति देने के लिए प्रार्थना करते है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. दूसरी ओर, उत्तरवादी संख्या 1/उच्च न्यायालय के विद्वान अधिवक्ता ने रिटर्न में उनके द्वारा लिए गए रुख को दोहराया और आगे कहा कि नियम 1961 के नियम 12(2)(सी) में संशोधन के बाद, उन्नयन सूची को संशोधित किया जाना है और तदनुसार, उच्च न्यायालय की ओर से कोई अवैधता नहीं है और वे रिट याचिका को खारिज करने के लिए प्रार्थना करते है।उन्होंने आगे कहा कि माननीय खंडपीठ द्वारा जारी निर्देश के अनुसार ग्रेडेशन सूची को संशोधित किया गया है और नियम, 1961 में संशोधन के तहत, सुनवाई का कोई अवसर आवश्यक नहीं है क्योंकि इसे न्यायिक घोषणा के तहत संशोधित किया गया है, इस प्रकार, वह रिट याचिका को खारिज करने के लिए प्रार्थना करते है।

11. इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किए जाने वाले बिंदु की सराहना करने के लिए, इस न्यायालय के लिए उत्तरवादी संख्या 2 से 4 पर प्रतिनियुक्ति के समय लागू सुसंगत सेवा नियमों का संदर्भ लेना समीचीन है।यहां यह उल्लेख करना उचित है कि सुसंगत समय पर उत्तरवादी क्रमांक 2 से 4 की सेवा शर्तें छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय अधिकारी एवं कर्मचारी भर्ती तथा सेवा शर्तें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1996 (संक्षेप में नियम, 1996) द्वारा शासित थीं। उक्त नियम के भाग–IV में प्रावधान है कि विशेष परिस्थितियों में, जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर योग्य उच्च श्रेणी लिपिक में से स्थानांतरण कर उच्च न्यायालय स्थापना में नियुक्ति की जा सकती है। नियम 8 में कुछ वर्ग–III एवं वर्ग–II पदों पर भर्ती का स्रोत एवं विधि बताई गई है। उक्त नियम में प्रावधान है कि उच्च श्रेणी लिपिक की नियुक्ति जिला न्यायालय से भी की जा सकती है तथा उक्त नियम के नियम 2(एल) में प्रतिनियुक्ति को परिभाषित किया गया है। तदनुसार, उत्तरवादी संख्या 2 से 4 को वर्ष 2001 में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था।उक्त नियमों के नियम 21 में माननीय मुख्य न्यायाधीश को किसी शर्त या नियम को उसके लागू होने से शिथिल करने की शक्ति प्रदान की गई है, यदि ऐसा आवश्यक हो।

12. इस न्यायालय ने विभिन्न जिला न्यायालयों से अभ्यर्थियों को प्रतिनियुक्ति पर बुलाने से संबंधित अभिलेख मांगे हैं।अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि तत्कालीन अतिरिक्त रजिस्ट्रार (ए) ने अपने ज्ञापन दिनांक 17.01.2001 के माध्यम से सभी जिला न्यायाधीशों से कर्मचारियों की भारी कमी को पूरा करने के लिए कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजने के संबंध में सूचना भेजने का अनुरोध किया है।नोट–शीट में आगे कहा गया है कि उच्च न्यायालय के कर्मचारियों के प्रत्यावर्तन के कारण, उच्च न्यायालय को कार्य को पूरा करने के लिए जनशक्ति की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है और तदनुसार, इच्छा मांगी गई थी और उत्तरवादी संख्या 2 से 4 ने अपनी इच्छा प्रस्तुत की थी।यहां यह उल्लेख करना सुसंगत है कि प्रतिनियुक्ति के समय वे सहायक ग्रेड–II के पद पर कार्यरत थे तथा उन्हें जिला न्यायालय स्थापना में सहायक ग्रेड–II के पद पर क्रमशः 16.01.1995, 26.06.2000 एवं 01.07.2000 को नियुक्त किया गया था, जबकि याचिकाकर्ताओं को उच्च न्यायालय द्वारा सहायक ग्रेड-II के पद पर 24.05.2001 को सीधे नियुक्त किया गया था।उत्तरवादी संख्या 2 से 4 को याचिकाकर्ताओं से बहुत पहले नियुक्त किया गया था।इस प्रकार, वे वरिष्ठ हैं और सहायक ग्रेड-II के पद पर नियुक्ति के लिए अपेक्षित योग्यता रखते हैं। इसके बाद, नियम, 1996 को समाप्त कर दिया गया और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय स्थापना (नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियम, 2003 (संक्षेप में "नियम, 2003") तैयार किए गए। नियम, 2003 के नियम 22 में माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा छूट की शक्ति का प्रावधान है जो इस प्रकार है:---

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"22. शिथिल करने की शक्ति – (i) इन नियमों में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह प्रतिष्ठान के कर्मचारियों के साथ ऐसे तरीके से व्यवहार करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों को सीमित या कम करती है, जो उसे न्यायसंगत और उचित प्रतीत हो।

(ii) जहां मुख्य न्यायाधीश को यह विश्वास हो कि इन नियमों में से किसी के लागू होने से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई होती है, तो वह आदेश द्वारा उस विशेष नियम को ऐसी सीमा तक और ऐसे अपवादों और शर्तों के अधीन छूट दे सकता है, जैसा वह आवश्यक समझे।परमतु कि जहां कोई नियम प्रतिष्ठान के किसी कर्मचारी पर लागू हो, वहां उसके मामले को उक्त नियमों द्वारा प्रदत्त तरीके से कम अनुकूल तरीके से नहीं निराकरण किया जाएगा।"

13. उत्तरवादी संख्या 2 से 4, 2001 से उच्च न्यायालय में सहायक ग्रेड–II के पद पर काम कर रहे हैं और उन्हें 28.04.2004 को समाहित किया गया था। समाहित किए जाने के बाद, उनकी वरिष्ठता नियम 12(2)(सी) के अनुसार तय की गई थी, जो संशोधन से पहले मौजूद थी और उसी विषय को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी और बाद में, राज्य ने नियमों में संशोधन किया है जो इस प्रकार है:---

नियम, 1961 की धारा 12(2)(सी) के अनुसार, ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसे शुरू में प्रतिनियुक्ति पर लिया जाता है और बाद में आमेलित किया जाता है (अर्थात जहां प्रासंगिक भर्ती नियम "प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण पर स्थानांतरण" का प्रावधान करते हैं) उस ग्रेड में उसकी वरिष्ठता जिसमें वह आमेलित होता है, सामान्यतः

आमेलन की तिथि से गिनी जाएगी।हालांकि यदि वह पहले से ही (आमेलन की तिथि को) अपने "मूल विभाग" (पहले यह वर्तमान विभाग था) में नियमित आधार पर समान या समकक्ष ग्रेड धारण कर रहा है, तो ग्रेड में ऐसी नियमित सेवा को उसकी वरिष्ठता तय करने में ध्यान में रखा जाएगा, इस शर्त के अधीन कि उसे वरिष्ठता उस तिथि से दी जाएगी जब से वह प्रतिनियुक्ति पर पद धारण कर रहा है या जिस तिथि से वह अपने मूल विभाग में समान या समकक्ष ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है "जो भी पहले हो" (पहले यह जो भी बाद में हो)।"

14. तदनुसार, उत्तरवादी संख्या 2 से 4 की वरिष्ठता उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28.12.2004 और 29.09.2005 से क्रमशः सहायक ग्रेड–I और अनुभाग अधिकारी के पद पर निर्धारित की गई है। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि उत्तरवादी संख्या 2 से 4 को 28.04.2004 को समाहित कर लिया गया था और नियम, 2003 में प्रावधान है कि सहायक ग्रेड–I का पद प्रतिष्ठान द्वारा योग्यता–सह–वरिष्ठता के आधार पर भरा जाएगा और नियमों में कोई न्यूनतम अर्हक सेवा निर्धारित नहीं की गई है। नियम, 2003 की अनुसूची–V में प्रावधान है कि सहायक ग्रेड–I के पद पर पदोन्नति के लिए उम्मीदवार को प्रतिष्ठान में सहायक ग्रेड–II का पद धारण करना चाहिए।इस प्रकार, उत्तरवादी संख्या 2 से 4 को 28.12.2004 को सहायक ग्रेड–I के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया गया। 04.02.2013 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त का संकल्प निम्नानुसार है:–––

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

" विषय संख्या 9:इस उच्च न्यायालय की स्थापना पर रिक्त पड़े विभिन्न पदों को पदोन्नति द्वारा भरने पर विचार करने बाबत।समाधानःसंशोधित श्रेणीकरण सूची तथा ए. सी. आर. के अनुसार माना जाता है तथा निम्नानुसार निराकरण किया जाता हैः

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

II. समिति ने अनुभाग अधिकारी के 25 रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु आगे विचार किया।एसीआर के अवलोकन के पश्चात् निम्नलिखित सहायक ग्रेड–I को अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया गया है। तदनुसार, निम्नलिखित सहायक ग्रेड–I को अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए अनुशंसित किया जाता है।**1. श्री अशोक कुमार देवांगन,2. श्री रामायण प्रसाद देवांगन,3. श्री अरुण कुमार पोतदार,4. श्री एल. के. पाठक,5. श्री संजय श्रीवास्तव,6. कू. वनिता अग्रवाल,7. श्रीमती. रुचि सोनकर,8. श्री के. सत्य प्रकाश,9. श्री एस. आर. महाले,10. श्री विकास मंडल,11. श्री दिनेश चंद्र बावंकर,12. श्री किशन कुमार वर्मा,13. श्री एस. एन. चौकीकर,14. श्री प्रशांत भट्ट,15. सरस्वती कश्यप,16. श्री प्रदीप कुमार डोंगरे,17. श्री संतोष कुमार घोले,18. श्री योगेंद्र श्रीवास्तव,19. श्री उमेश कुमार रजक,20. श्री मोहन मेहर,21. श्री फनेंद्र कुमार बिसेन,22. श्री गिरधारी राम जंगेल और 23. श्री रवीन्द्र सिंह नेगी,**कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए पदावनत किया जाएगा।**1. श्री अशोक कुमार देवांगन,2. श्री रामायण प्रसाद देवांगन तथा 3.श्री अरुण कुमार पोटदार**उन्हें क्रमशः 28.12.2004 और 29.09.2005 से "काम नहीं तो वेतन नहीं"

के सिद्धांत के साथ एजी–I और अनुभाग अधिकारी के पद पर काल्पनिक रूप से पदोन्नत किया जाएगा, अर्थात वह दिनांक जब उनके कनिष्ठ अर्थात श्री रमाकांत बंजारी और अन्य को वर्ष 2004 में एजी–I और वर्ष 2005 में अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया था।इसके अलावा, उन्हें इस उच्च न्यायालय की स्थापना के बाद अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया जाए। उन्हें अनुभाग के संवर्ग में श्री रमाकांत बंजारी से ऊपर रखा जाए"

15. इसी प्रकार, अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए सुसंगत समय पर, नियम, 2003 की अनुसूची-IV में स्थापना के सहायक ग्रेड–I, अनुवादकों, स्टाम्प रिपोर्टरों और परीक्षक (आईएलआर) में से योग्यता–सह–वरिष्ठता के आधार पर पूर्णतः पदोन्नति का प्रावधान है। उत्तरवादी संख्या 2 से 4 को 28.12.2004 को सहायक ग्रेड–I के पद पर काल्पनिक रूप से पदोन्नत किया गया था और उन्हें सहायक ग्रेड–I की क्रमोन्नति सूची में रखा गया था, उन्हें दिनांक 04.02.2013 के आदेश के तहत 29.09.2005 से अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया है।इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि उत्तरवादी संख्या 2 से 4 की पदोन्नति, प्रतिष्ठान पर लागू नियम, 2003 के अनुसार ही की गई है।इस प्रकार, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा उत्तरवादी संख्या 2 से 4 को उच्च न्यायालय की स्थापना में समाहित करने और क्रमशः 28.12.2004 और 29.09.2005 को सहायक ग्रेड–I और अनुभाग अधिकारी के पद पर काल्पनिक पदोन्नति प्रदान करने का निर्णय उचित था। उत्तरवादी संख्या 1 द्वारा उत्तरवादी संख्या 2 से 4 को वरिष्ठता प्रदान करने की कार्यवाही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गीता वी.एम. और अन्य बनाम रेथनासेन के. और अन्य {2005 आईएनएससी 33} के मामले में निर्धारित विधि के अनुसार है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समाहित करने की अवधारणा, प्रतिनियुक्ति के समय इसका प्रभाव, कर्मचारियों के अनुरोध पर नहीं बल्कि नीतिगत निर्णय के रूप में माना है और पैराग्राफ 40 से 45, 47 और 50 में निम्नानुसार यह अभिनिर्धारित किया है:---

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"40. यहाँ, यह अवशोषण के माध्यम से स्थानांतरण का मामला है। अब, अवशोषण के अर्थ से निपटने के लिए, हम विभिन्न शब्दावलियों का लाभप्रद रूप से संदर्भ ले सकते हैं। पी. रामनाथ अय्यर के एडवांस्ड लॉ लेक्सिकन, 7 वें संस्करण के अनुसार, 'अवशोषण' का अर्थ है 'अंदर ले जाना।' अवशोषण पर, कर्मचारी उसे अवशोषित करने वाले विभाग का अभिन्न अंग बन जाता है और विभाग के मौजूदा कर्मचारियों के समान रंग और चरित्र रखता है।'41. कॉर्पस ज्यूरिस सेकंडम (सीजेएस) में, 'अवशोषित' को ; , आत्मसात करना; घटक भाग के रूप में खींचना' के रूप में परिभाषित किया गया है; और इसे 'उपभोग' का समानार्थी भी कहा गया है।

42. उपरोक्त के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यदि स्थानांतरण अवशोषण द्वारा होता है, तो ऐसा कर्मचारी उसे अवशोषित करने वाले विभाग का अभिन्न अंग बन जाता है और मौजूदा कर्मचारियों के समान रंग और चरित्र का हिस्सा बन जाता है।दूसरे शब्दों में, अवशोषण स्पष्ट रूप से चूसना, घटक भाग के रूप में खींचना और उपभोग करना दर्शाता है।

43. इसके अलावा, विकल्प और अनुरोध शब्दों के अलग–अलग अर्थ हैं जिन पर और जोर देने की आवश्यकता है।बोलचाल की भाषा में, मेरियम–वेबस्टर ने 'विकल्प' को इस प्रकार परिभाषित किया है – 'चुनने का कार्य; चुनने की शक्ति या अधिकार:चुनने की स्वतंत्रता; कुछ ऐसा जिसे चुना जा सकता है', जबकि, 'अनुरोध' को इस प्रकार परिभाषित किया गया है – 'कुछ मांगना, आमतौर पर औपचारिक तरीके से'।विधि उपयोग में, ब्लैक लॉ डिक्शनरी 'विकल्प' को इस प्रकार परिभाषित करती है – 'चुनने का अधिकार या शक्ति; कुछ ऐसा जिसे चुना जा सकता है'। दूसरी ओर, यह 'अनुरोध' को इस प्रकार परिभाषित करती है – 'मांगना या याचिका; किसी व्यक्ति से किसी चीज़ को दिए जाने या किए जाने की इच्छा की अभिव्यक्ति'।

45. पी. रामनाथ अय्यर के एडवांस्ड लॉ लेक्सिकन, 7 वें संस्करण में, 'विकल्प' को इस प्रकार परिभाषित किया गया है – 'केवल चुनाव या चुनाव की स्वतंत्रता।किसी विकल्प या चुनाव की अनिवार्य आवश्यकता यह है कि चुनाव करने वाला पक्ष अपने अधिकार के प्रति सजग हो।पक्ष को अपने अधिकार और उन परिस्थितियों का ज्ञान होना चाहिए जो विकल्प के प्रयोग को प्रभावित करेंगी। किसी मामले के संबंध में जिस व्यक्ति को विकल्प दिया जाता है, उसे कोई भी काम करने या लेने के लिए अपनी स्वतंत्र इच्छा पर छोड़ दिया जाना चाहिए।'और 'अनुरोध' को 'मांग या आवश्यकता' के रूप में परिभाषित किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

XXX

47. वर्तमान मामले में, स्थानांतरण अनुरोध के आधार पर नहीं बल्कि विकल्प के आधार पर अवशोषण के माध्यम से किया गया है।उक्त अवशोषण, दोहरी नियंत्रण प्रणाली को समाप्त करने के सरकार के नीतिगत निर्णय के अनुसरण में था, जिससे मेडिकल कॉलेजों और उनसे जुड़े अस्पतालों के प्रशासन की दक्षता में वृद्धि हुई और इसे डीएचएस से हटाकर डीएमई को दे दिया गया। इसलिए, 25.10.2008 के जी.ओ. में निहित परिशिष्ट I और परिशिष्ट II में निर्दिष्ट विकल्प के प्रयोग पर अवशोषण के माध्यम से स्थानांतरण के लिए केएस एंड एसएस नियमों के नियम 27 (ए) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, जो केवल अनुरोध पर या आपसी अनुरोध पर स्थानांतरण से संबंधित है।इस प्रकार, विकल्प पर भी प्रशासनिक आवश्यकता के कारण सार्वजनिक हित में की गई कार्यवाही अनुरोध पर की गई कार्यवाही से भिन्न है। हमारे विचार में, नियम 27 (ए) के प्रावधान सरकार के नीतिगत निर्णय के अनुसरण में विभाग द्वारा अवशोषण के माध्यम से किए गए स्थानांतरण के मामले में लागू नहीं होते हैं। इसलिए, सार्वजनिक हित में अवशोषण के माध्यम से स्थानांतरण को नियम 27(ए) के प्रावधान में निर्दिष्ट या पारस्परिक रूप से लागू आकस्मिकताओं में अनुरोध पर स्थानांतरण के बराबर नहीं माना जा सकता है।

XXX

50. न्यायालय ने उक्त टिप्पणियों के साथ निष्कर्ष निकाला कि यदि किसी कर्मचारी द्वारा स्थानांतरण के लिए अनुरोध किया जाता है और प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो स्थानांतरित पद पर कार्यभार

ग्रहण करने पर, पिछली सेवा को छोड़कर नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वरिष्ठता की गणना की जाएगी और नियम 27 के खंड (सी) का लाभ ऐसे कर्मचारी को उपलब्ध नहीं होगा। उक्त निर्णय निजी उत्तरवादी – मूल कर्मचारियों के लिए कोई मदद नहीं करता है क्योंकि वर्तमान मामले में स्थानांतरण प्रशासनिक आवश्यकताओं के तहत आमेलन के माध्यम से किया गया है।जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, विकल्प के आधार पर आमेलन, अनुरोध पर स्थानांतरण से पूरी तरह से भिन्न है और उक्त निर्णय ऊपर की गई चर्चा को पुष्ट करता है तथा आमेलित कर्मचारियों के मामले का पक्ष लेता है।"

16. विधि की स्थिति और मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, यह सुस्पष्ट है कि याचिकाकर्ता उत्तरवादी सं. 2 से 4 से कनिष्ठ हैं और उत्तरवादी सं. 2 से 4 को 28.04.2004 को उच्च न्यायालय में संविलियन किया गया था और इस तथ्य के तहत कि उत्तरवादी सं. 2 से 4 03.04.2001, 05.02.2001 और 03.04.2001 को प्रतिनियुक्ति पर थे, उन्हें याचिकाकर्ताओं पर वरिष्ठता प्रदान करना सही है क्योंकि याचिकाकर्ताओं को शुरू में 24.05.2001 को नियुक्त किया गया था, जो उत्तरवादी सं. 2 से 4 की नियुक्ति के बाद की बात है। तदनुसार, इस न्यायालय द्वारा निर्धारित बिंदु का उत्तर उत्तरवादी सं. 2 से 4 के पक्ष में और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दिया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. यहां यह उल्लेख करना उचित है कि चूंकि नियमों में संशोधन और माननीय युगल पीठ के आदेश के तहत ग्रेडेशन सूची में संशोधन किया गया है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को नोटिस या सुनवाई का अवसर प्रदान करने की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत यह तर्क कि उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, भी खारिज किए जाने योग्य है। परिणामस्वरूप, आक्षेपित आदेश किसी भी अवैधता या अनियमितता से ग्रस्त नहीं है, जिसके लिए इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता हो।

18. रिट याचिका में कोई सार नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है।इस पर कोई वाद व्यय देय का आदेश नहीं किया जाता है।

सही/–
(नरेंद्र कुमार व्यास)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur